# NPR NRC जैसा क्यों नहीं है

लेखक - दीप्तिमान तिवारी (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

25 दिसम्बर, 2019

**"सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए धनराशि आवंटन की घोषणा कर दी है। इस आलेख में हम एनपीआर द्वारा एकत्र किए जाने वाले विवरणों पर नजर डालेंगे, जो इसे विवादास्पद बनाता है और जानेंगे कि क्या इसका देशव्यापी एनआरसी के साथ कोई संबंध है या नहीं।"**

मंगलवार को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए 3,900 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दे दी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और प्रस्तावित अखिल भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर राष्ट्रव्यापी विरोध की पृष्ठभूमि में, एनपीआर को एनआरसी की ओर एक पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है, जबकि केंद्र का कहना है कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि वे एनपीआर को लागू नहीं करेंगी।

**NPR क्या है?**

एनपीआर 'देश के सामान्य निवासियों' की एक सूची है। गृह मंत्रालय के अनुसार, 'देश का सामान्य निवासी' वह है जो कम से कम पिछले छह महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या अगले छह महीनों के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है। एनपीआर एक नागरिकता अभियान नहीं है, क्योंकि यह छह महीने से अधिक समय तक एक स्थानीय इलाके में रहने वाले एक विदेशी नागरिक को भी रिकॉर्ड करेगा। यह एनपीआर को एनआरसी से अलग बनाता है, जिसमें गैर-नागरिकों को पहचानने और उन्हें बाहर करने की माँग करते हुए केवल भारतीय नागरिकों को शामिल करता हैं।

**कोई एनपीआर में कैसे शामिल हो सकता है?**

एनपीआर नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत् तैयार किया जा रहा है। एनपीआर में पंजीकरण करना भारत के प्रत्येक 'सामान्य निवासी' के लिए अनिवार्य है। केवल असम को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा (अगस्त में भारत के रजिस्ट्रार जनरल

## DATA COLLECTION, THEN & NOW

Details of individual required for NPR in 2020

1. Name of person
2. Relationship to head of household
3. Sex
4. Date of Birth
5. Marital status
6. Educational qualification
7. Occupation/Activity
8. Father's Name/Mothers Name/Spouse Name
9. Place of birth
10. Present address of usual residence
11. Duration of stay at present address
12. Nationality (as declared)
13. Permanent residential address

NEW

14. Aadhaar Number (Voluntary)
15. Mobile Number
16. Date & Place of Birth of Parents
17. Place of Last Residence
18. Passport Number *
19. Voter ID Card Number
20. Permanent Account Number
21. Driving License Number

*If holder of Indian Passport

Details of individual required for NPR in 2010

1. Name of person
2. Relationship to head of household
3. Father's name
4. Mother's name
5. Spouse's name (if married)
6. Sex
7. Date of Birth
8. Marital status
9. Place of birth
10. Nationality (as declared)
11. Present address of usual residence
12. Duration of stay at present address
13. Permanent residential address
14. Occupation/Activity
15. Educational qualification

द्वारा एक अधिसूचना के अनुसार), क्योंकि इस राज्य में हाल ही में NRC पूरा किया गया है।

NPR हाउसिंग-लिस्टिंग चरण जनगणना का पहला चरण है, जिसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय (RGI, आरजीआई) द्वारा जनगणना 2021 के लिए आयोजित किया जाएगा। इसे स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा है। आरजीआई ने पहले ही 5,218 गणना ब्लॉकों के माध्यम से 1,200 गांवों और 40 कस्बों और शहरों में एक पायलट परियोजना शुरू की है, जहाँ यह लोगों से विभिन्न डेटा एकत्र कर रहा है। अंतिम गणना अप्रैल 2020 में शुरू होगी और सितंबर 2020 में समाप्त हो जाएगी।

**क्या NPR NRC से जुड़ा है?**

नागरिकता अधिनियम सरकार को प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने और भारतीय नागरिकों के एक राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रखने का अधिकार देता है। एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी को अगर शुरू किया जाता है तो एनपीआर इससे बाहर निकल जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि एक एनआरसी को एनपीआर का पालन करना चाहिए - 2010 में पिछले एनपीआर के बाद ऐसा कोई रजिस्टर संकलित नहीं किया गया था। निवासियों की एक सूची तैयार होने के बाद, एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी यदि ऐसा होता है तो उस सूची से नागरिकों को सत्यापित किया जा सकता है।

गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, 'एनपीआर डेटा के आधार पर एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी का संचालन करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है।' गृह मंत्री अमित शाह ने भी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि दोनों मामले एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हैं और एनपीआर डेटा का उपयोग एनआरसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

इससे पहले, शाह ने कई बार कहा था कि देश भर में NRC लागू होगा और असम में भी दोहराया जाएगा। एनपीआर और एनआरसी को जोड़ने वाले बयान सरकार द्वारा संसद और गृह मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में किए गए हैं। नवंबर 2014 में, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सीपीआई सांसद डॉ. टीएन सीमा को एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया था कि "एनपीआर प्रत्येक सामान्य निवासियों की नागरिकता की स्थिति को सत्यापित करके भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) के निर्माण की दिशा में पहला कदम है।"

गृह मंत्रालय की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट भी कहती है कि एनपीआर एनआरसी के कार्यान्वयन की दिशा में पहला कदम है। 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) उपर्युक्त कानून (नागरिकता अधिनियम) के प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) के निर्माण की दिशा में पहला कदम है,' वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है।

**NPR कैसे विवादास्पद है?**

एक और बहस गोपनीयता पर शुरू हुई है। एनपीआर निवासियों के व्यक्तिगत डेटा के कई विवरण एकत्र करने का इरादा रखता है।

एनपीआर आधार, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट जैसे पहचान डेटाबेस में सबसे ऊपर है। इसके अलावा, गृह मंत्री शाह ने भी कहा था कि वह एक कार्ड में सभी जानकरी को देखना चाहेंगे। शाह ने 24 सितंबर को भारत के रजिस्ट्रार जनरल के नए कार्यालय और जनगणना आयुक्त के शिलान्यास समारोह में कहा, 'हमें इन सभी अलग-अलग अभ्यासों को समाप्त करना होगा।'

**यदि पिछला NPR था, तो इस विचार की उत्पत्ति कब और कैसे हुई?**

इस तरह की पहली परियोजना यूपीए शासन के समय की है और 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा प्रस्ताव में रखा गया था। उस समय, यह आधार (यूआईडीएआई) से इस मुद्दे पर टकरा गया था कि कौन सी परियोजना नागरिकों को सरकारी लाभ हस्तांतरित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। गृह मंत्रालय ने तब एनपीआर को एक बेहतर वाहन के रूप में आगे बढ़ाया था, क्योंकि यह प्रत्येक एनपीआर-रिकॉर्डेड निवासी को जनगणना के माध्यम से एक घर से जोड़ता था। मंत्रालय ने यहाँ तक कि यूआईडीएआई परियोजना को इसकी तुलना में पीछे रखा।

एनपीआर के लिए डेटा पहली बार 2010 में जनगणना 2011 के हाउस-लिस्टिंग चरण के साथ एकत्र किया गया था। 2015 में, यह डेटा डोर-टू-डोर सर्वेक्षण आयोजित करके अपडेट किया गया था।

हालाँकि, एनडीए सरकार ने 2016 में सरकारी लाभों के हस्तांतरण के लिए आधार को महत्त्वपूर्ण वाहन के रूप में चुना और इसके पीछे अपना जोर डालते हुए, एनपीआर को पीछे रखा। अतिरिक्त डेटा के साथ 2015 एनपीआर को अपडेट करने की कवायद शुरू हो गई है। अद्यतन जानकारी का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है।

**किस प्रकार का डेटा एकत्र किया जाएगा?**

एनपीआर जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक दोनों एकत्र करेगा, हालाँकि बाद के लिए यह आधार पर निर्भर करेगा। 2010 में अंतिम एनपीआर में, 15 पहलुओं पर डेटा एकत्र किया गया था। 2020 एनपीआर में, 21 डेटा प्वॉइंट हैं। फिर से, 2010 के डेटा बिंदुओं में से तीन (पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम) को 2020 के एक अभ्यास में शामिल किया गया है, ताकि, प्रभावी रूप से आठ नए डेटा बिंदु हों, जिसमें माता-पिता के जन्म की विवादास्पद तिथि और स्थान शामिल है:

- **आधार संख्या (स्वैच्छिक)**
- **मोबाइल नंबर**
- **माता-पिता के जन्म की तारीख और स्थान**
- **अंतिम निवास स्थान**
- **पासपोर्ट नंबर (यदि भारतीय पासपोर्ट धारक)**
- **वोटर आईडी कार्ड नंबर**
- **स्थायी खाता संख्या**
- **ड्राइविंग लाइसेंस नंबर**

परीक्षण में, आरजीआई इन विवरणों की माँग कर रहा है और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली को अद्यतन करने के लिए काम कर रहा है।

**यदि किसी के पास ऐसा विवरण नहीं है, तो क्या होगा?**

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, एनपीआर के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है, अतिरिक्त डेटा जैसे पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी को प्रस्तुत करना स्वैच्छिक है। मंत्रालय ने निवासियों के लिए एनपीआर ऑनलाइन के लिए विवरण अपडेट करने का विकल्प भी तैयार किया है।

**सरकार को इतना डेटा क्यों चाहिए?**

जहाँ गोपनीयता के बारे में चिंताएँ व्याप्त हैं, सरकार की स्थिति दो आधारों पर आधारित है। पहला, हर देश में जनसांख्यिकीय विवरण के साथ अपने निवासियों का एक व्यापक पहचान डेटाबेस होना चाहिए। एनपीआर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी किए गए अपने बयान में गृह मंत्रालय ने कहा कि एनपीआर के संचालन का उद्देश्य देश में रहने वाले हर परिवार और व्यक्ति के विश्वसनीय सुरक्षा और विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत् लाभार्थियों के लक्ष्यीकरण में सुधार के अलावा एक विश्वसनीय रजिस्टर तैयार करना है।

दूसरा, मोटे तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पैन जैसे डेटा के संग्रह को सही ठहराने के लिए है, यह लाल फीताशाही को हटाकर भारत में रहने वालों के जीवन को आसान बना देगा। अलग-अलग सरकारी दस्तावेजों में किसी व्यक्ति के जन्म की विभिन्न तिथियों का मिलना आम बात है। एनपीआर से इस कुव्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। एनपीआर डेटा के साथ, निवासियों को आधिकारिक काम में उम्र, पता और अन्य विवरण के विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने होंगे। यह भी मतदाता सूचियों में दोहराव को खत्म करेगा।

हालाँकि, अधिकारी जोर देकर कहते हैं कि एनपीआर की जानकारी गोपनीय है, अर्थात इसे तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, इस विशाल मात्रा में डेटा की सुरक्षा के लिए तंत्र पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है जिसे सरकार इकट्ठा करने की योजना बना रही है।

**पश्चिम बंगाल और केरल की अवहेलना का तात्पर्य है?**

ये विपक्षी शासित राज्य एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। विदेशी और देशीकरण नागरिकता की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में सूचीबद्ध विषय हैं जो विशेष रूप से संसद के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कानूनी रूप से एनपीआर को लागू करने या उस पर निर्णय लेने में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है।

## संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

1. **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के अंतर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. एनपीआर देश के स्थानीय निवासियों का रजिस्टर है जबकि एनसीआर देश में रहने वाले विदेशीयों सहित देशीय नागरिकों का रजिस्टर है।
2. एनपीआर केवल जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करेगा जबकि एनसीआर जनसांख्यिकीय के साथ बायोमेट्रिक डेटा भी एकत्र करेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

## Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements in the context of the difference between the National Population Register (NPR) and the National Register of Citizens (NRC)**

1. NPR is the register of local residents of the country whereas NCR is the register of native citizens along with foreigners residing in the country.
2. NPR will only collect demographic data while NRC will collect biometric data also along with demographic

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

**नोट : 24 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा ( संभावित प्रश्न ) का उत्तर 1 (a) होगा।**

## संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

**प्रश्न: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर किस प्रकार से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से भिन्न है? क्या यह वर्तमान में उपजे विवाद का संपूर्ण समाधान प्रस्तुत करता है? चर्चा कीजिये। ( 250 शब्द )**

**How is the National Population Register different from the National Register of Citizen? Does it present a complete solution to the present dispute? Discuss**

**(250 words)**

**नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।**